अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा		राज.सरकार

मुकदमा संख्या 236/2025

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
02.7.2025	यह आवेदन पत्र प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा की ओर से अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू अभिलेख अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत पेश है। जो आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया,कि प्रस्तावित रास्ता भूमि मे दर्शित रकबा राजस्थान सरकार (समर्पण भूमि) के खाते मे दर्ज है। जिसकी किस्म बा.सोयम व गै.मु.खारड़ा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है,लेकिन उक्त रकबा आम जन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रहा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे। विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने पर आपति नहीं है। **हमने** उभयपक्ष को सुना और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि,आवेदन मे दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म बा.सोयम व गैर मुमकिन खारड़ा राज.सरकार के खाते मे दर्ज है,उक्त प्रस्तावित भूमि रकबा को गै.मु.रास्ता धोषित करवाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। लेकिन आवेदन के साथ कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है,जिससे साबित होता हो कि प्रस्तावित भूमि का उपयोग सार्वजनिक बारहमासी रास्ता रूप मे उपयोग लिया जा रहा है और न ही प्रार्थी द्वारा मौका स्थिति की मौका रिपोर्ट पेश की गई है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य नही है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	